फर्द अहकाम

गोपाललाल बनाम राजस्थान सरकार

पत्र संख्याः 387 / 2024

<table>
<tr><th></th><th>आज्ञा विस्तृत रूप से</th><th>विशेष विवरण</th></tr>
<tr><td>2024</td><td>
पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र बाबत् तरमीम शुद्धिकरण पेश किया। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का मनन एवं अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् तरमीम शुद्धिकरण निम्नानुसार स्वीकार किया जाता है। –

1. ग्राम शिकारपुरा के तीनो खसरा नम्बरान 548 / 1, 548 / 2, 1248 / 548 का सयुक्त रकबा जमाबन्दी एवं नक्शे दोनो में समान है तो तीनो खसरा नम्बरान 548 / 1, 548 / 2, 1248 / 548 की तरमीम जमाबन्दी के रकबे के अनुसार की जावे।
2. यदि तीनो खसरा नम्बरान 548 / 1, 548 / 2, 1248 / 548 का सयुक्त रकबा जमाबन्दी के अनुसार नक्शे में समान नही है तो खसरा नम्बरान 548 / 1, 548 / 2, 1248 / 548 की तरमीम आनुपातिक रूप से नक्शे में शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2024 को सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर
</td><td></td></tr>
</table>